झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन करते हुए किसी शिकायत एवं आरोप के सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई निमित्त सम्बन्धित प्रशासी विभाग को शक्ति प्रत्यायोजित करने हेतु प्रावधानित करने के सम्बन्ध में।

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 71वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल(सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. यह अधिनियम "झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) अधिनियम, 2020" कहलाएगा।

2. इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा।

3. यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-11 के उपरान्त निम्नांकित परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित होगी:-

"परन्तु यह कि यदि प्रशासी विभाग को यह यथेष्ट प्रतीत होता है कि किसी शिकायत/ आरोप के संबंध में शीघ्र जाँच कर कार्रवाई की जानी है तो संबंधित प्रशासी विभाग जैसा उचित समझे संबंधित शिकायत/ आरोप की जाँच कर सकेगा। जाँचोपरान्त अथवा विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाये जाने पर कि नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कत्तव्यों का निर्वहन करने में, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, असफल रहा हो, तो प्रशासी विभाग उसके विरूद्ध, उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रवीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 41(A)--50--6-10-2020 ।